**Before the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata**

Case No.- O.A No. 102/2023

In the matter of:

Ramroop Rana.............................................**Petitioner**

***VERSUS***

The State of Bihar...........................................**Respondent**

## Subject – Counter Affidavit

### INDEX

| Sl. No. | Particulars | Page No. |
|---|---|---|
| 1 | **Counter Affidavit on behalf of respondent no. 02 & 10** | 1 to 06 |
| 2 | **A photocopy of the letter dated 24-01-2023 vide memo no. 141 is Annexed as Annexure-A.** | 07 |
| 3 | **A photocopy of the letter no. 893 dated 07-03-2023 is annexed as Annexure-B.** | 08 & 09 |
| 4 | **A photocopy of the letter no. 894 dated 07-03-2023 is annexed as Annexure-C.** | 10 |
| 5 | **A photocopy of the Letter no. 895 dated 07-03-2010 is annexed as Annexure-D.** | 11 & 12 |
| 6 | **A photocopy of the proceeding dated 21.11.2023 is annexed here with as Annexure-E.** | 13 to 15 |
| 7 | **A photocopy of the letter no. 1881 dated 04-12-2023 is annexed as Annexure-F** | 16 |
| 8 | **A copy of letter no. 1988 dated 19-12-2023 is annexed as Annexure-G.** | 17 & 18 |

.............................

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

27

**Before the Hon'ble National Green Tribunal, Eastern Zone Bench, Kolkata**

Case No.- O.A No. 102/2023

In the matter of:
Ramroop Rana

SL No. 17

...Petitioner

***VERSUS***

The State of Bihar

...Respondent

COUNTER AFFIDAVIT FILED ON BEHALF OF RESPONDENT NO. i.e The District Magistrate Banka

I, Vikram Kumar , son of Chandrika Mandal, aged about 39 years, by faith- Hindu, by occupation Service holder, working for gain at Executive Engineer, Flood Control, Bounsi do hereby solemnly affirm and say as follows :-

1. That I am the authorized by competent authority in the instant case and am well acquainted with the facts and circumstances of the case. I am competent and authorized to verify and affirm this affidavit for and on behalf of the Respondent ie District Magistrate, Banka.
2. That in compliance of the order dated 18-11-2022 passed by the Hon'ble Tribunal, the ~~deponent~~ Respondent i.e District Magistrate, Banka has taken several appropriate steps inter alia.
3. That on 02-01-2023 the deponent has wrote a letter to the Member, Secretary B.S.P.C Board, Patna vide memo no. 04 by which it was informed that in view of the order passed by the Hon'ble Tribunal, spot verification was made on 28-11-2022 in presence of Additional Collector cum Additional District Magistrate, Banka, Scientist C, MOEF & C.C. Ranchi, Regional

NOTARY GOVERNMENT OF WEST BENGAL MD. TAZAMMUL HUSSAIN KOLKATA Regd. No.-22/96 EXPIRY DATE 06.03.2025

officer BSPCB, Bhagalpur and Executive Engineer, W.R.D, Flood Control Division, Bounsi and with other concerned officers and preliminary report has already been submitted earlier. Further it was submitted that in view of above mentioned points the committee shall take further action after receiving the detailed inquiry report from the all concerned officers of the department of revenue and Land Reforms, Mining Department, Water Resource Department and Rural Water Department.

4. That in pursuance of the letter dated 24.01.2023 vide no. 141 issued by the Member Secretary, B.S.P.C.B, the Additional Collector, Banka on 25.01.2023 vide memo no. 307 has requested the Executive Engineer WR.D, Flood Control Division, Bounsi as well as Anchal Adhikari, Banka to submit final report with regard to encroachment of how much area of embankment of concerned river has been made after conducting spot verification since matter is pending for hearing before the Hon'ble National Green Tribunal on 02.02.2023.

**A photocopy of the letter dated 24-01-2023 vide memo no. 141 is Annexed as Annexure-A.**

5. That the deponent on 07.03.2023 vide memo no. 893 has issued notice to the 01 to 10 persons who are Jamabandi raiyats and are being bought and sold the lands of edge of the river in question and have poured soil on the aforesaid edge of the river which has been co-operated by the Anupam Garg and Panchu Jha. As such without obtaining permission from the competent authority, unconstructed road has been made after pouring soil on the edge of the river. Since direction has been issued to the District Sub-Registrar, Banka restraining him from sale and purchase of the adjoining part of the edge of the

NOTARY GOVERNMENT OF WEST BENGAL MD. TAZAMMUL HUSSAIN CALCUTTA Regd. No. 22/96 EXPIRY DATE 08.03.2025

river and E.E,F.C, Bounsi was directed to make free from encroachment from the said road.

**A photocopy of the letter no. 893 dated 07-03-2023 is annexed as Annexure-B.**

6. That the deponent on 07.03.2023 vide letter no. 894 has issued show cause notice to the E.E. RWD Work Division-01, Banka in view of the letter dated 24.01.2023 vide letter no. 141 issued by the Member Secretary, B.S.P.C.B, Bihar, Patna that as per Joint inquiry report dated 28-01-2023 it appears that the soil was poured on the unconstructed road on Khesra no. 139 which is edge of the said river and the villagers have stated that through the said edge of the river, the villagers of Bidaydih, Churaili and Hasia-Baherra have been using marching through the said unconstructed road since before as well as habitation. Survey was also conducted by him to make available the connected road to the Banka-Belhar main road for the villagers of Bidaydih, Churaily, Hasiya-Behra and Nimadih etc.The E.E RWD work Division-01, Banka was directed to file show cause as to why disciplinary action be not initiated for not taking permission from the competent authority to construct road on the edge of orrhni river.

**A photocopy of the letter no. 894 dated 07-03-2023 is annexed as Annexure-C.**

7. That after receiving the Joint inquiry report submitted by the E.E, W.R.D, Flood Controls Division, Bounsi and Anchal Adhikari, Banka dated 27.01.2023, the deponent on 07-03-2023 vide letter no. 895 has made aware to the Member Secretary, B.S.P.C.B, Bihar, Patna that the Orrhni River flows from South to North in the upstream from left of Masuria Village and is a rainy river and in Khatiyan it is recorded by its

NOTARY
MD. TAMIM HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

nature is RIVER appertaining to revenue village ward no. 12, Khata No. 420, Khesra No. 139 and 140 having its total Area 16.50 Hectare whereas Khata No. 420, Khesra No. 143 and 148 its nature is recorded as Bandh and in ward no. 11, Khesra no. 662 is also recorded as Bandh.Further Khesra No. 139 is edge of the river on which there is unconstructed road. After measurement it was found that 1 feet to 2 feet soil was poured on Khesra No. 139 in length 601 Meter and 4 Meter width of the said unconstructed road. Further in the inquiry report it was stated that marksmanship was found adjacent to the edge of the river which was being sale/purchase as such according to revenue record, show cause notice was issued to the Jamabandi raiyats and their helpers of ward no. 12 on 07.03.2023 vide memo no. 893 and District Sub Registrar, Banka was restrained to registration of sale and purchase of the land of adjoining part of edge of river till the disposal of the case pending before the Hon'ble NGT. The Executive Engineer, Rural Works Division-01, Banka was also issued show cause with regard to construction of road on the edge of the said Orrhni river. The Anchal Adhikari, Banka was also directed to remove encroachment immediately on the edge of said Orrhni river and on its adjoining portion. The E.E,F.C.D, Bounsi was directed to ensure that no encroachment would be made in future on the area of river in question.

**A photocopy of the Letter no. 895 dated 07-03-2010 is annexed as Annexure-D.**

8. That on 21.11.2023 a review meeting was held to get updates in the O.A No. 727/2022 filed before the Hon'ble NGT, Principal Bench, Delhi. In view of the facts submitted through the show cause, direction was issued to the E.E, F.C, Bounsi to make free from encroachment on the land marked for the road in

NOTARY GOVERNMENT OF WEST BENGAL ... HUSSAIN ... EXPIRY DATE 06.03.2025

question and immediate ban was imposed on purchasing and selling of land of concerned Jamabandi in question. The Jamabandi raiyats were exonerated from the charges after considering their show cause. Sub-Division officer Flood Control sub-division was directed to file encroachment case before Anchal Adhikari, Banka. Anchal Adhikari, Banka was also directed to initiate encroachment proceeding for removal of encroachment made on the road in question and submit report accordingly.

**A photocopy of the proceeding dated 21.11.2023 is annexed here with as Annexure-E.**

9. That in view of the direction issued to the Anchal Adhikari, Banka on 21.11.2023, the Anchal Adhikari, Banka on 04.12.2023 vide letter no. 1881 has informed the S.D.O, Banka that in pursuance of the order issued in the matter of O.A No. 727/2022, he has initiated Land Encroachment proceeding bearing case no. 08/2023-24 for removal of encroachment on unconstructed road on the land appertaining to revenue ward no.12, Khata no. 420, Khesra no. 139 which is recorded as Gairmajarua Aam land and its nature is river. Notices have been issued for removal of the said encroachment which is illegal unconstructed temporary road and the date was fixed for removal of the encroachment on 18.12.2023. As such request was made to provide Police force along with Magistrate as well as direction be issued to the concerned department to provide fire brigade vehicle and Ambulance.

**A photocopy of the letter dated 04-12-2023 is annexed as Annexure-F**

10. That on the date fixed Circle Officer, Banka with the help of Police force & Magistrate has removed the encroachment and

NOTARY
MD. TAZAMMIL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

vide letter no. 1988 dated 19-12-2023 informed the S.H.O, Banka to monitor the same so that further encroachment may not be made on the land in question.

**A copy of letter no. 1988 dated 19-12-2023 is annexed as Annexure-G.**

11. That under the facts and circumstances stated above proper steps have already been taken by the deponent to comply the order passed by the Hon'ble NGT dated 18-11-2022.

12. That the statements made in paragraphs 1 to 18 are true to my knowledge, those made in paragraph 1 to 3 are true to my information derived from the record which I verily believed to be true, those made in paragraphs no. 4 to 10 are matters of record and the rest are my humble submissions before this Hon'ble Court.

VKS 09/01/2024
Deponent

Prepared in my office
& Identified by me

Surendra Kumar
Advocate

Office - 7B, Middleton Street.
3rd floor
Kolkata 700071

09 JAN 2024

Solemnly affirmed and declared before me on Identification

MD T HUSSAIN Notary
City Civil Court
Kolkata
Regd No 22/96 Govt. W.B.

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

[redacted]

विक्रम कुमार
Vikram Kumar
जन्म तिथि / DOB: 10/03/1985
पुरुष / MALE
Mobile No.: 7979758424

5027 6552 7342

मेरा आधार, मेरी पहचान

[redacted] प्राधिकरण
[redacted] OF INDIA

आधार

पता:
द्वारा: चन्द्रिका मंडल, रिटायर कॉलोनी झझा, झाझा, जमुई, बिहार - 811308

Address:
C/O: Chandrika Mandal, Retair Colony jhajha, Jhajha, Jamui, Bihar - 811308

5027 6552 7342

1947 1800 300 1947 | help@uidai.gov.in | www www.uidai.gov.in | P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

EE
FCD, Bounsi

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(7) 34

Annexure – 'A'

जिलाधिकारी, बांका
गोपनीय शाखा
ई0 मेल / फैक्स
प्राप्ति की तिथि 24.1.23
...46...
पृष्ठांकित विभाग राजस्व
जिलाधिकारी

(29)

ई–मेल

# बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

BIHAR

परिवेश भवन, एन.एस.बी.–2, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र,
पो0– सदाकत आश्रम, पाटलिपुत्र, पटना–800010
ई–मेल– msbspcb-bih@gov.in बेवसाईट– http://bspcb.bihar.gov.in

पत्रांकः P/Legal01- 34/2022 | 141 पटना, दिनांकः 24.01.23

प्रेषक,

एस. चन्द्रशेखर, भा.व.से.
सदस्य–सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकरी,
समाहारणालय बाँका।
E-mail Id.- dm-banka[dot]bih[at]nic[dot]in

**Most Urgent**
**Hon'ble NGT**
**Matter**

**विषयः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली में दायर O.A. No.- 727/2022, Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक 18.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।**

**प्रसंगः पत्रांकः 04 / रा0, दिनांकः 02.01.2023**

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित मामले की सुनवाई के दौरान माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच, दिल्ली द्वारा **दिनांक 18.11.2022** को आदेश पारित करते हुए बिहार के **बाँका जिले** के ओदानी नदी के कुछ हिस्सो पर भूमि माफिया द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर बेचे जाने पर संज्ञान लेते हुए तथ्यात्मक स्थिति का पता हेतु संयुक्त समिति का गठन किया गया था।

संयुक्त समिति द्वारा **दिनांक 28.12.2022** को स्थल का निरीक्षण कर **प्रारंभिक प्रतिवेदन** अधोहस्ताक्षरि का प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि सड़क निर्माण के लिए नदी तट पर अतिक्रमण किया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन विभाग, जल संसाधन विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग (RWD) से आँकड़े / रिपोर्ट / सूचना प्राप्त कर संकलित करते हुए **विस्तृत रिपोर्ट तैयार** किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितना क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया से संबंधित **विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट** अधोहस्ताक्षरि को पत्र निर्गत के **तीन** दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाय ताकि समय सीमा के अंदर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट दायर किया जा सके।

ज्ञातव्य है कि विषयांकित मामला माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में सुनवाई हेतु **दिनांक 02.02.2023** को सूचीबद्ध है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेंगे।

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

विश्वासभाजन

24/1/23

(एस. चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव।

Annexure-'B'

(8) 35 159

समाहरणालय बाँका

(राजस्व शाखा)

अंशुल कुमार, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, बाँका

ज्ञापांक– 893 / रा0,

प्रेषित,

1. नारायण झा, पेसर–घनश्याम झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–195)
2. अशोक कु0 झा वगैरह, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–29)
3. बुधनी देवी, पति–हड़बु राउत, वार्ड नं0–11, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–408)
4. योगा देवी, पति–लक्ष्मीकान्त झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–292)
5. रंजन कु0 झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–36)
6. आदित्य कु0 झा, पिता–अरूण कु0 झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–39)
7. अमरेश कु0 झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–38)
8. कैलाश चन्द्र झा, पिता–अरूण चन्द्र झा, वार्ड नं0–12, नगर पंचायत–बाँका (ज0नं0–35)
9. श्री अनुपम गर्ग, पे0–श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, साकिन–करहरिया रोड, बाँका
10. पंचु झा, पे0–स्व0 जनार्दन झा, साकिन–विजयनगर, बाँका

*बाँका, दिनांक–07/03/2023*

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर OA No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के संबंध में।**

प्रसंग :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक–141 दिनांक–24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितना क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, से संबंधित विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दिए गए निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बाँका से स्थल जाँचोपरान्त प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से एक मीटर से तीन मीटर ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। मापी उपरांत पाया गया कि खेसरा–139 में 601 मीटर लम्बा, लगभग 4 मीटर चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर एक फीट से दो फीट मिट्टी डाला गया है। स्थल पर जाँच के क्रम में पाया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा, कैलाश चन्द्र झा, अमरेश झा, पिता–अरूण चन्द्र झा एवं रविश कुमार सिन्हा, पिता–अविनाश चन्द्र सिन्हा के द्वारा अपनी जमीन की खरीद–बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा Edge पर मिट्टी डाली गई है एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग एवं पंचु झा द्वारा सहयोग किया गया है।

उपर्युक्त आलोक में निदेश दिया जाता है कि ओढ़नी नदी/Edge पर मिट्टी डालकर कच्ची सड़क का निर्माण कार्य की कार्रवाई बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रारंभ की गई है, के संदर्भ सात दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना कारण पृच्छा समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध संगत अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाय ? तत्काल प्रश्नगत जमाबन्दी के क्रय–विक्रय पर रोक लगायी जाती है। साथ ही प्रश्नगत चिन्हित सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण, बौंसी को दिया जा रहा है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अतिक्रमण ओढ़नी नदी में नहीं हो सके।

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

6/3

अपर समाहर्त्ता
बाँका

6/3/23

विश्वासभाजन

7.3.23

समाहर्त्ता
बाँका

ज्ञापांक–893/रा0, बाँका, दिनांक–07/03/2023

प्रतिलिपि– जिला अवर निबंधक, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए निदेश है कि प्रश्नगत मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आदेश प्राप्त होने तक प्रश्नगत ओढ़नी नदी/नदी के Edge से सटे भाग से संबंधित खाता/खेसरा की जमीन की खरीद/बिक्री हेतु निबंधन की कार्रवाई पर रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण, बौंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर समाहर्त्ता
बाँका

समाहर्त्ता
बाँका
7.3.23

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(10)
Annexure-'C'

37

(60)

समाहरणालय बाँका

(राजस्व शाखा)

अंशुल कुमार, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, बाँका

पत्रांक–894/रा0,

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–01

*बाँका, दिनांक–07/03/2023*

विषय :– **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर OA No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के संबंध में।**

प्रसंग :– सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक–141 दिनांक–24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितना क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, से संबंधित विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने का दिए गए निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बाँका से स्थल जाँचोपरान्त संयुक्त प्रतिवेदन की मांग की गई। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका के पत्रांक–262/रा0, दिनांक–28.01.2023 से प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से एक मीटर से तीन मीटर ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। मापी उपरांत पाया गया कि खेसरा–139 में 601 मीटर लम्बा, लगभग 4 मीटर चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर एक फीट से दो फीट मिट्टी डाला गया है। स्थल पर जाँच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवामगन पूर्व से करते आ रहे हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग–01, बाँका के द्वारा बिदायडीह, चुड़ैली, हसिया–बहेड़ा एवं नीमाडीह के वासिन्दों को मसूरिया ग्राम में पुल के पास बाँका–बेलहर मुख्य सड़क तक सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने के लिए Habitation Survey भी कराई गई है।

उपर्युक्त आलोक में निदेश दिया जाता है कि ओढ़नी नदी/Edge पर सड़क निर्माण कार्य की कार्रवाई किस सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रारंभ की गई है, के संदर्भ में 24 घंटे के अंदर स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना कारण पृच्छा समर्पित करें, कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु विभाग को प्रतिवेदित की जाय ?

विश्वासभाजन

6/3      7.3.23

अपर समाहर्त्ता      समाहर्त्ता
बाँका      बाँका

6/3

NOTARY
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No. 22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025

(11)
Annexure-'D'
38

समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)
पत्रांक–895/रा0,

अंशुल कुमार, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, बाँका

सेवा में,

सदस्य सचिव
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक–07/03/202

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर **O.A No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors.** के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश का अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग– भवदीय पत्रांक–141, दिनांक–24.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेच दिल्ली द्वारा दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर अतिक्रमण से संबंधित मामले की दिनांक–27.01.2023 को कार्यपालक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बांका द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्य निम्नवत हैः–

1. ओढ़नी नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह एक बरसाती नदी है।
2. ओढ़नी नदी के बाँये भाग मसुरिया ग्राम से अपस्ट्रीम में राजस्व ग्राम वार्ड नं0–12, खाता सं0–420, खेसरा सं0–139 एवं 140, कुल रकवा–16.50 हे0 किस्म नदी दर्ज है एवं खाता–420, खेसरा सं0–143, 148 किस्म बाँध दर्ज है तथा वार्ड नं0–11 में खेसरा सं0–662 किस्म बाँध दर्ज है।
3. नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से 1 मी0 से 3 मी0 ऊँचा है, जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। उक्त के आलोक में दिनांक–28.12.2022 एवं 29.12.2022 को अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में अंचल अमीन, बाँका के द्वारा मापी की गई। मापी उपरान्त पाया गया कि नदी का खेसरा–139 में 601 मी0 लम्बा, लगभग 4 मी0 चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर 01 फीट से 02 फीट मिट्टी डाला गया है।
4. स्थल निरीक्षण के क्रम में स्थल पर उपस्थित अभिषेक कुमार, अधिवक्ता, विजयनगर, बाँका द्वारा बताया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा, कैलाश चन्द्र झा, अमरेश झा, पिता–अरूण चन्द्र झा एवं रवि कुमार सिन्हा, पिता–अविनाश चन्द्र सिन्हा के द्वारा अपनी जमीन की खरीद–बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा नदी के Edge पर मिट्टी डाली गई है एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग, पे0–श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल, साकिन–करहरिया रोड, बाँका एवं पंचु झा, पे0–स्व0 जनार्दन झा, साकिन–विजयनगर, बाँका के द्वारा सहयोग किया गया है।
5. **परिवादी रामरूप राणा, शिव मंदिर चौक, विजयनगर, बाँका से भी उक्त के संबंध में उनका पक्ष जानने हेतु सम्पर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उक्त पते पर श्री रामरूप राणा नाम के कोई व्यक्ति नहीं पाए गए।**
6. स्थल पर जाँच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवागमन पूर्व से करते आ रहे हैं। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग–01, बाँका के द्वारा विदायडीह, चुड़ैली, हसिया–बहेड़ा एवं नीमाडीह के वासिन्दों को मसूरिया ग्राम में पुल के पास बाँका–बेलहर मुख्य सड़क तक सम्पर्क पथ उपलब्ध कराने के लिए Habitation Survey भी कराई गई है।
7. खनिज विकास पदाधिकारी, बांका के पत्रांक–177 दिनांक–03.02.2023 द्वारा ओढ़नी नदी से संबंधित स्थल का निरीक्षण खान निरीक्षण बांका एवं खनिज विकास पदाधिकारी, बांका द्वारा

NOTARY
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
03.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(12) 39

दिनांक–21.01.2023 को की गई है। स्थल निरीक्षण एवं अभिलेखीय प्रमाणों से निम्न तथ्य पाये गये :–

**(क)** ओढ़नी नदी दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बहती है। यह एक बरसाती नदी है।

**(ख)** प्रश्नगत स्थल, नदी का Edge (किनारा)/तटबंध है, जो नदी के बेड से 1 मी0 से 3 मी0 ऊँचा है, जिसपर कच्चा रास्ता पाया गया। स्थल जॉच के क्रम में उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि तटबंध तथा नदी के Edge से होकर विदायडीह, चुड़ैली एवं हसिया–बहेड़ा के लोग आवागमन पूर्व से करते आ रहे है। नदी का तटबंध लगभग 600 मी0 लम्बा, 4 मी0 चौड़ा है। उक्त तटबंध पर बनी कच्ची रास्ता पर लगभग 1.2 फीट मिट्टी अन्यत्र स्थान से लाकर डाला गया है एवं उक्त पथ को Motorable बनाया गया है।

**(ग)** नदी का Edge (किनारा) है।

संयुक्त स्थल जॉच प्रतिवेदन में नदी के Edge से सटे जिस भूमि पर निशानदेही पाया गया एवं खरीद/बिक्री की जा रही है। राजस्व अभिलेख के अनुसार मौजा वार्ड नं0–12 में अंकित जमाबंदी रैयतों एवं सहयोगकर्त्ता से इस कार्यालय के ज्ञापांक–893/रा0, दिनांक–07/03/2023 से कारण पृच्छा की मांग करते हुए जिला अवर निबंधक, बाँका को संयुक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रश्नगत मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आदेश प्राप्त होने तक प्रश्नगत ओढ़नी नदी/नदी के Edge से सटे भाग से संबंधित खाता/खेसरा की जमीन की खरीद/बिक्री हेतु निबंधन की कार्रवाई पर रोक लगाने हेतु निदेशित किया गया है। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल–01 बाँका को भी कार्यालय पत्रांक–894/रा0, दिनांक–07/03/2023 से ओढ़नी नदी/Edge पर सड़क निर्माण के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए कारण पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बाँका को प्रश्नगत ओढ़नी नदी/Edge एवं सटे भू–भाग पर किसी प्रकार की अतिक्रमण पाये जाने पर तत्काल अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई करने एवं कार्यपालक अभियन्ता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी को प्रश्नगत नदी क्षेत्र में भविष्य मे अतिक्रमण नहीं हो, इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

**सूचनार्थ समर्पित।**

**अनुलग्नक :– यथोक्त।**

विश्वासभाजन

7.3.23

समाहर्त्ता
बाँका

6/3
अपर समाहर्त्ता
बाँका

**ज्ञापांक–**895**/रा0, बाँका, दिनांक–**07**/**03**/2023**

प्रतिलिपि– अंचल अधिकारी, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि प्रश्नगत ओढ़नी नदी/Edge एवं सटे भू–भाग पर किसी प्रकार की अतिक्रमण पाये जाने पर तत्काल अपने स्तर से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियन्ता, बाढ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी एवं कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्यप्रमंडल–01, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3
अपर समाहर्त्ता
बाँका

7.3.23
समाहर्त्ता
बाँका

NOTARY
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025

40

Annexure – 'E'

**दिनांक–21.11.2023 को 04:00 बजे अपराह्न में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बैंच, दिल्ली में दायर ओ0ए0 नं0– 727 / 2022 रामरूप राणा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु बैठक की कार्यवाही :–**

**उपस्थिति :–पंजी के अनुसार**

1. समिति के सदस्यों द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बैंच, दिल्ली में दायर ओ0ए0 नं0–727 / 2022 रामरूप राणा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में जमाबंदी रैयतों /अन्य को कार्यालय ज्ञापांक– 893 / रा0 दिनांक– 07.03.2023 द्वारा निर्गत नोटिस के आलोक में प्राप्त कारण पृच्छा का अवलोकन किया गया। समर्पित कारण पृच्छा में अंकित तथ्यों के आलोक में संयुक्त मंतव्य प्रतिवेदन निम्नवत है :–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रधान बेंच दिल्ली में दायर OA No. 727/2022 Ramroop Rana Vs. State of Bihar & Ors. के मामले में दिनांक–18.11.2022 को पारित आदेश के संबंध में विषयांकित मामले में संदर्भित क्षेत्र के नदी तट पर कितने क्षेत्र का अतिक्रमण किया गया है, से संबंधित विस्तृत एवं अंतिम रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन विभाग, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, बौंसी एवं अंचल अधिकारी, बाँका से स्थल जाँचोपरान्त प्राप्त संयुक्त जाँच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि नदी के खेसरा सं0–139 में नदी का Edge (किनारा) है, जो नदी के बेड से एक मीटर से तीन मीटर ऊँचा है, जिसपर कच्चा रास्ता पाया गया। मापी उपरांत पाया गया कि खेसरा–139 में 601 मीटर लम्बा, लगभग 4 मीटर चौड़ा बनी कच्ची रास्ता पर एक फीट से दो फीट मिट्टी डाला गया है। स्थल पर जाँच के क्रम में पाया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा, कैलाश चन्द्र झा, अमरेश झा, पिता–अरूण चन्द्र झा एवं रविश कुमार सिन्हा, पिता–अविनाश चन्द्र सिन्हा के द्वारा अपनी जमीन की खरीद–बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा Edge पर मिट्टी डाली गई है एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग एवं पंचु झा द्वारा सहयोग किया गया है। उपर्युक्त आलोक में ओढ़नी नदी/Edge पर मिट्टी डालकर कच्ची सड़क का निर्माण कार्य की कार्रवाई बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति से प्रारंभ की गई है, के संदर्भ में संबंधित को सात दिनों के अंदर स्थिति स्पष्ट कर कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु नोटिस दिया गया कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध संगत अधिनियम के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जाय। इस परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रश्नगत जमाबन्दी की भूमि के क्रय–विक्रय पर रोक लगायी गई है। साथ ही प्रश्नगत चिन्हित सड़क की भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण, बौंसी को दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण ओढ़नी नदी के Edge (किनारा) पर नहीं हो सके।

जमाबंदी रैयत व अन्य यथा–अशोक कुमार झा, रंजन कुमार झा, आदित्य कुमार झा, अमरेश कुमार झा, कैलाश चन्द्र झा, ग्राम–विजयनगर, बांका द्वारा निर्गत नोटिस में वर्णित कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित है कि हम सभी लोग आपस में भाई हैं और हमारे पिता का नाम स्व० अरूण चन्द्र झा है और हमलोग उपरोक्त पते पर स्थाई रूप से अपने–अपने परिवार के साथ रहते है, निवास करते हैं तथा नोटिस में वर्णित क्रम सं0–4 के योगा देवी हमलोगों की दादी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। नदी के किनारा को हमलोगों के द्वारा भरा गया है का आरोप न्यायोचित नहीं है। हमलोगों के द्वारा रवि कुमार सिन्हा को 20 वर्ष पूर्व में ही नदी से सटे जमीन का विक्रय किया गया है, जिसका रकवा–0.74 डी0 है, जिसके चौहद्दी में उत्तर–नदी ही दर्शाया गया है, न कि 20 फीट कच्ची सड़क या प्रस्तावित कोई रास्ता हमलोगो के द्वारा दिखाया गया है। आवेदक श्री अशोक कुमार झा के द्वारा वर्ष 2009 ई० में रकवा 18: डी० जो श्रीमति मिलन कुमारी पति– शत्रुधन यादव को विक्रय किया गया, इस विक्रय–पत्र में भी उत्तर दिशा में नदी ही दर्शाया गया है। हमलोग कुल सात भाई है और सातों भाईयों के बीच आपसी पारिवारिक खानगी बंटवारानामा में भी उत्तर दिशा में ओढ़नी नदी को ही दर्शाया गया है। इस हेतु हमलोगों के द्वारा नदी के वास्तविक स्थिति से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अपितु सारा खेल भू–माफियाओं के द्वारा भू–खण्डों को Plotting कर उसके चौहदी में नदी के जगह 20 फीट कच्ची सड़क को दर्शाकर भूमि के दर को बढ़ाया गया एवं रुपयों का दोहन–शोधन नोटिस में निर्देशित क्रम सं0– 1 स्व0 नारायण झा एवं इनके मरणोपरान्त इनके पुत्र केशव झा जो कि अनुपम गर्ग एवं पंचु झा के द्वारा नदी को मिट्टी भर कर रास्ता बनाने का काम किया गया है। अनुपम गर्ग जो बाँका जिला के शीर्ष भू–माफियाओं में से हैं, जिनका मुख्य कारोबार जमीन का क्रय–विक्रय करना होता है, ने रुपयों का धमस से यह विधि विरुद्ध कार्य किया है। अतः उपरोक्त

विषय के संदर्भ में हमलोगों का कोई भूमिका नहीं है, जो जाँच का विषय है, जिसके लिये हम सभी लोग हमेशा तैयार हैं। अतः इस कारण पृच्छा को अभिलेख में लेकर जांचोपरांत हमलोगों को इस आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

केशव कुमार झा, ग्राम–विजयनगर, बांका द्वारा कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित किया गया है कि भेजे गए नोटिश से यह प्रतीत होता है कि रामरूप राणा के आवेदन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा कार्यवाही करने हेतू प्रक्रिया शुरू किया गया है। वास्तव में रामरूप राणा नाम का कोई भी व्यक्ति विजयनगर में नहीं है। जहाँतक नदी के किनारा (Edge) के जमीन का प्रश्न है, जिसका खाता नं० 139 है, उक्त खसरे की जमीन से आवेदक को कोई सरोकार नहीं है। वास्तव में आवेदक का खतियानी जमीन नगरपालिका बांका वार्ड नं0 12 खाता 195 विभीन्न खेसरा कुल 16 रकवा जिसका कुल रकवा 3.5075 हेक्टेयर है, पर उनका हक दखल कब्जा है। यह है कि न तो आवेदक द्वारा या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कभी भी किसी प्रकार का रास्ता नहीं बनाया गया है और न ही उक्त रास्ते पर कभी मिट्टी भरवाया है। आवेदक की जमीन खेसरा 127, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 164, 165, 167, 168, 150, 1582/2104 एवं 109/2106 है, जिसे किसी भी रूप में खेसरा नं0 139 से कोई मेल नहीं है। उनके द्वारा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सरकारी जमीन यानि नदी के किनारे पर नहीं किया गया है।

अर्जुन पंजियारा एवं कैलाश पंजियारा, पिता–हरबु राउत, माता–बुधनी देवी, ग्राम–विजयनगर, बांका कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित है कि बुधनी देवी पति हड़बु राउत मेरी मां है जिनका देहान्त 2012 में हो गया है उपरोक्त वर्णित विषय के संदर्भ में निर्माण कार्य की प्रक्रिया मेरे द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया है और न ही उक्त नवनिर्मित रास्ते की भूमि को जानता हूँ और न ही उक्त नव निर्मित रास्ते की भूमि से मेरा सरोकार है।

अशोक झा (योगा देवी) कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित है कि इनके द्वारा जबाब दिनांक–16.03.2023 को दे दिया गया है जोगा देवी मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। विक्री की गई भूमि में स्पष्ट रूप से उत्तर चौहद्दी में ओढ़नी नदी दर्शाया गया है।

पंचानन झा, ग्राम–विजयनगर, बांका कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित है कि आवेदक को न तो खेसरा 139 की जमीन से कोई सरोकार है और न ही नोटिस में वर्णित किसी अन्य व्यक्ति से ही सरोकार रहा है। आवेदक को रामरूप राणा को किसी भी रूप में नहीं जानते हैं। उक्त व्यक्ति जमाबंदी रैयत नहीं है। प्रश्नगत मामले में इनके विरूद्ध कच्ची रास्ता के निर्माण में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है, परन्तु इनके विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अनुपम गर्ग, ग्राम–करहरिया, बांका कारण पृच्छा में यह तथ्य वर्णित है कि आवेदक को न तो खेसरा 139 की जमीन से कोई सरोकार है और न ही नोटिस में वर्णित किसी अन्य व्यक्ति से ही सरोकार रही है। आवेदक रामरूप राणा को किसी भी रूप में नहीं जानते हैं। उक्त व्यक्ति जमाबंदी रैयत नहीं है। प्रश्नगत मामले में कच्ची रास्ता के निर्माण में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है, परन्तु उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बैठक में उपस्थित कार्यापालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी द्वारा बताया गया कि तारा मंदिर के निकट ओढ़नी नदी के बायें तट पर ग्रामीणों/अज्ञात लोगों के द्वारा आने–जाने हेतु मिट्टी भरकर अवैध रूप से लगभग 600 मीटर की लम्बाई में रास्ता बनाया गया है। इसलिए उक्त अतिक्रमण को अविलंब हटाने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में अतिक्रमण वाद दायर करने हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं0–01 बौंसी को निदेशित किया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बांका के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वर्णित विषय में कोई निर्माण कार्यालय द्वारा कभी नहीं करवाया गया है।

1. कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल बौंसी ने अपने पत्रांक–54 दिनांक– 27.01.2023 से विषयगत स्थल का अंचल अधिकारी बांका के साथ संयुक्त विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बांका को समर्पित किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बांका के पत्रांक– 262/रा0 दिनांक– 28.01.2023 से उक्त प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। संयुक्त प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि प्रश्नगत ओढ़नी नदी की संयुक्त स्थलीय निरीक्षण

उपरान्त यह पाया गया कि ओढ़नी नदी के बाएं भाग मसुरिया ग्राम से अपस्ट्रीम से राजस्व ग्राम वार्ड नं0–12 खाता संख्या–420 खेसरा–139 एवं 140 कुल रकवा–16.50 हे0 किस्म नदी दर्ज है। नदी के खेसरा संख्या–139 में नदी का Edge (किनारा) है जो नदी के बेड से 1 मीटर से तीन मीटर उंचा है। जिस पर कच्चा रास्ता पाया गया। स्थलीय जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि नदी के Edge से सटे कच्चा रास्ता से सटे जिस भूमि पर निशानदेही पाया गया एवं खरीद बिक्री की जा रही है। स्थल पर उपस्थित अभिषेक कुमार अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि नदी के Edge से सटे भाग पर जमाबंदी रैयत नारायण झा के पुत्र केशव झा एवं अन्य द्वारा जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। उनके द्वारा नदी के Edge पर मिट्टी डाली गयी है। एवं उक्त कार्य में श्री अनुपम गर्ग एवं पंचु झा द्वारा सहयोग किया गया है। कनीय अभियंता द्वारा दिनांक–04.05.2023 को थाना प्रभारी, बांका सदर को ग्रामीणों द्वारा सरकारी जमीन पर मिट्टी डालकर रास्ता बनाने के विरूद्ध उचित कार्रवाई हेतु आवेदन दिया गया है। कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी के पत्रांक– 506 दिनांक–21.11.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि तारा मंदिर के निकट ओढ़नी नदी के बायें तट पर ग्रामीणों/अज्ञात लोगों के द्वारा आने–जाने हेतु मिट्टी भरकर अवैध रूप से लगभग 600 मीटर की लम्बाई में रास्ता बनाया गया है। इसलिए उक्त अतिक्रमण को अविलंब हटाने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में अतिक्रमण वाद दायर करने हेतु अवर प्रमंडल पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सं0–01 बौंसी को निदेशित किया गया है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि जमीन की खरीद बिक्री करने के उदेश्य से एवं ग्रामीणों द्वारा आने जाने हेतु कच्ची रास्ता का निर्माण कराया गया है। उक्त के आलोक में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सभी कारण पृच्छा अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, बांका को निदेश दिया गया कि नदी के Edge (किनारा) पर बिना पूर्वानुमति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त किये बिना कच्ची रास्ता बनाकर किये गये अतिक्रमण को मुक्त कराकर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

**सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | 21/11/23 | 21.11.23 | 21/11/23 | 21.11.23 | 21/11/23 | 21/11/2023 |
| अंचल अधिकारी, बांका | कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, बांका | कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी | भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बांका | जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व, बांका | अनुमंडल पदाधिकारी बांका | अपर समाहर्त्ता, बांका |

NOTARY
MD. TAJAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE
06.03.2025
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

(16)

43

Annexure – 'F'

# अंचल कार्यालय, बांका

पत्रांक................/

प्रेषक,

अंचल अधिकारी
बांका।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,
बाँका।

दिनांक ............................/

विषय : **N.G.T. New Delhi के ओ0ए0 नं0–727/2022 रामरूप राणा बनाम बिहार सरकार व अन्य से संबंधित मामले में दायर अतिक्रमण वाद सं0–8/23–24 पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने हेतू पुलिस बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में।**

प्रसंग : कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी का पत्रांक–506, दिनांक–21.11.2023 एवं प्रभारी जिला पदाधिकारी के पत्रांक–4842/रा0, दिनांक–23.11.23

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय **N.G.T. New Delhi के ओ0ए0 नं0–727/2022 रामरूप राणा बनाम बिहार सरकार व अन्य से संबंधित मामले में** कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी का पत्रांक–506, दिनांक–21.11.2023 एवं प्रभारी जिला पदाधिकारी के पत्रांक–4842/रा0, दिनांक–23.11.23 एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल बौंसी के पत्रांक–46, दिनांक 24.11.23 के आलोक में तारा मंदिर के निकट बाये तरफ ओढ़नी नदी के बायें तट पर अतिक्रमित भू–भाग को अतिक्रमण मुक्त करने हेतू अंचल कार्यालय बांका में अतिक्रमण वाद सं0–08/23–24 संधारित करते हुए राजस्व वार्ड–12, खाता–420, खेसरा–139 किस्म नदी गैरमजरूआ आम भूमि पर 4 मीटर चौड़ा एवं 601 मीटर लम्बा भू–भाग पर बनी अवैध कच्ची रास्ता (अस्थायी) हटाने हेतू अतिक्रमण आदेश पारित किया गया है एवं अतिक्रमण हटाने हेतू दिनांक 18.12.2023 को तिथि निर्धारित की गई है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि प्रश्नगत अतिक्रमण हटाने हेतू 50 लाठीबल, 20 सशस्त्र बल एवं 10 महीला पुलिस बल के साथ दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त करने की कृपा करें, साथ ही प्रश्नगत स्थल पर अग्निशमन वाहन एवं एम्बुलेंस हेतु संबंधित विभाग को निदेश देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

अंचल अधिकारी
बांका।

NOTARY GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No.-22/96
EXPIRY DATE

ज्ञापांक 1881 / दिनांक 04/12/23

प्रतिलिपि : अवर प्रमंडल पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल 1 बौंसी/ कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि प्रश्नगत तिथि को स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

04/12/23
अंचल अधिकारी

(17)

24 **अंचल कार्यालय, बांका** Annexure-'G'

पत्रांक 1988 /

प्रेषक,

अंचल अधिकारी,
बाँका

सेवा में,

थानाध्यक्ष,
बाँका।

दिनांक 19-12-2023

विषय : **N.G.T New Delhi के ओ0ए0 नं0–727/2022 रामरूप राणा बनाम बिहार सरकार व अन्य सं संबंधि मामले में दायर अतिक्रमण वाद सं0–8/2023–24 पारित आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त कराने के उपरान्त सतत् निगरानी करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि माननीय N.G.T New Delhi के ओ0ए0 नं0–727/2022 रामरूप राणा बनाम बिहार सरकार व अन्य से संबंधि मामले में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, बौंसी का पत्रांक–506, दिनांक–21.11.2023 एवं प्रभारी जिला पदाधिकारी के पत्रांक–4842/रा0, दिनांक–23.11.2023 एवं अवर प्रमंडल पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल बौंसी के पत्रांक–46, दिनांक–24.11.2023 के आलोक में तारा मंदिर के निकट बाये तरफ ओढ़नी नदी के बायें तट पर अतिक्रमण भू–भाग को अतिक्रमण मुक्त करने हेतू अंचल कार्यालय, बाँका में अतिक्रमण वाद संख्या–08/2023–24 संधारित करते हुए राजस्व वार्ड–12, खाता–420, खेसरा–139 किस्म नदी गैरमजरूआ आम भूमि पर 4 मीटर चौड़ा एवं 601 मीटर लम्बा भू–भाग पर बनी अवैध कच्ची रास्ता (अस्थाई) दिनांक–18.12.2023 को दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की उपस्थिति में अतिक्रमण भू–भाग को मुक्त करा दिया गया हैं।

अतः अनुरोध है कि वार्ड–12, खाता–420, खेसरा–139 किस्म नदी गैरमजरूआ आम भूमि पर 4 मीटर चौड़ा एवं 601 मीटर लम्बा भू–भाग को पुनः अतिक्रमण नही किया जाए इसलिए सतत् निगरानी रखने की कृपा की जाए।

भवदीय सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

[signature]

अंचल अधिकारी
बांका

NOTARY GOVERNMENT WEST BENGAL MD. TAZAMMUL HUSSAIN CALCUTTA Regd. No.

ज्ञापांकः– 1988, दिनांकः– 19.12.2023

प्रतिलिपि :– अवर प्रमंडल पदाधिकारी बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल, बौंसी एवं कार्यपालक अभियंता, बाँका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बाँका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बाँका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, बाँका को सादर सूचनार्थ समर्पित।

[signature] 19.12.23

अंचल अधिकारी
बांका

(18) 45

स्थल - स्मारिका

आज दिनांक - 18/12/23 को नगरपालिका बांका सर्वे वार्ड 12, खाता - 420, खेसरा - 139, किस्म - नदी (ओढ़नी) के अतिक्र[illegible] भु-भाग पर बनाई गई कच्ची सड़क को अनुमंडल पदाधिकारी बांका, के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी - अमित कुमार रंजन अंचल अधिकारी, बांका, प्रीतम कुमार गौतम राजस्व अधिकारी बांका, कार्यपालक अभियंता - बाढ़ प्रमंडल बौंसी एवं अवर - प्रमंडल - 1 बाढ़ प्रमंडल बौंसी, तथा पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल के समक्ष अतिक्रमित कच्ची सड़क को खुदाई कर के हटाई गई।

[Signature] 18/12/23 अंचल अमीन बांका

[Signature] 18-12-23 [illegible] बांका

[Signature] 18/12/23 JE

[Signature] 18/12/23 570-01 FC 8d-01 Bounsi

[Signature] 18/12/23 राजस्व अधिकारी बांका

[Signature] 18/12/2023 अंचल अधिकारी बांका

S.I [Signature] 18/12/23 थाना बांका

NOTARY
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
MD. TAZAMMUL HUSSAIN
CALCUTTA
Regd. No. 22/96
EXPIRY DATE 03.03.2025